

'भौतिक' सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार]

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) एक नवरत्न सीपीएसई है और बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में सूचीबद्ध है। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई को 'महत्वपूर्ण' सहायक कंपनी निर्धारित करने के लिए एक नीति तैयार करनी होगी। हडको के पास आज की तारीख में कोई सहायक कंपनी नहीं है। हालाँकि, महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति उपरोक्त विनियमों के अनुपालन में तैयार की गई है।

I. परिचय

इस नीति को हडको की 'महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति' कहा जाएगा। यह नीति सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की आवश्यकता के अनुसार तैयार की गई है।

II. उद्देश्य

यह नीति हडको की सहायक कंपनियों की महत्वपूर्णता निर्धारित करने के लिए मानदंड प्रदान करती है।

III. सहायक कंपनी

"सहायक कंपनी" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) में परिभाषित सहायक कंपनी है।

IV. महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निर्धारण के लिए मानदंड

हडको की एक सहायक कंपनी को 'महत्वपूर्ण' माना जाएगा यदि संबंधित सहायक कंपनी का व्यापार या निवल मूल्य हडको और उसकी सहायक कंपनियों के क्रमशः समेकित व्यापार या निवल मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक है, जो कि तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में है।

V. अन्य प्रावधान

1. हडको के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक किसी असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक होगा, चाहे वह भारत में निगमित हो या नहीं।

स्पष्टीकरण - इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, विनियमन 16 में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, "महत्वपूर्ण सहायक कंपनी" शब्द का अर्थ ऐसी सहायक कंपनी होगी, जिसका कारोबार या निवल मूल्य, सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों के समेकित कारोबार या निवल मूल्य के क्रमशः बीस प्रतिशत से तत्काल पूर्ववर्ती लेखा वर्ष में अधिक है।

2. भारत में निगमित महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध सहायक कम्पनियाँ सचिवीय लेखा-परीक्षण करेंगी तथा सूचीबद्ध इकाई की वार्षिक रिपोर्ट के साथ, निर्दिष्ट प्रारूप में, अभ्यासरत कम्पनी सचिव द्वारा दी गई सचिवीय लेखा-परीक्षण रिपोर्ट संलग्न करेंगी।

3. हडको अपनी महत्वपूर्ण सहायक कम्पनी में ऐसे शेयरों का निपटान नहीं करेगी, जिससे उसकी शेयरहोल्डिंग (या तो स्वयं या अन्य सहायक कम्पनियों के साथ मिलकर) 50% से कम हो जाए या वह अपनी आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किए बिना सहायक कम्पनी पर नियंत्रण समाप्त कर दे, अतिरिक्त उन मामलों को छोड़कर, जहाँ ऐसा विनिवेश न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की योजना के तहत किया गया हो।

4. वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र आधार पर महत्वपूर्ण सहायक कम्पनी की परिसंपत्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक की राशि की परिसंपत्तियों की बिक्री, निपटान और पट्टे(लीज) पर देने के लिए विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरहोल्डर्स की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी, जब तक कि बिक्री/निपटान/पट्टा(लीज) न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की योजना के अंतर्गत न किया गया हो। हालाँकि, यह खंड उस स्थिति में लागू नहीं होगा जब परिसंपत्तियों की बिक्री, निपटान या पट्टा(लीज) दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच हो।

VI. प्रकटीकरण

इस नीति का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट पर किया जाएगा और वार्षिक रिपोर्ट में इसका वेब लिंक प्रदान किया जाएगा।

VII. संशोधन करने की शक्ति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को बोर्ड द्वारा समय-समय पर वैधानिक प्रावधानों/अन्य आवश्यकताओं आदि में परिवर्तन के आलोक में उपरोक्त नीतियों के किसी भी खंड को संशोधित/परिवर्तित/जोड़ने/हटाने के लिए अधिकृत किया गया है।